2021

January - March

DETECTIVE

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद
CENTRAL DETECTIVE TRAINING INSTITUTE, GHAZIABAD

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT, MHA, GOVT. OF INDIA

संपादक मण्डल

मुख्य संरक्षक

श्री अम्बर किशोर झा, भा.पु.से,
निदेशक, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान,
गाज़ियाबाद (उ.प्र.)

संरक्षक

श्री विरेन्द्र कुमार, उप–प्राचार्य,
केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान,
गाज़ियाबाद

संपादक

श्री बीरेन्द्र कुमार,
हिंदी प्रभारी अधिकारी

सहसंपादक

श्रीमती इन्दिरा कौशिक
वरिष्ठ निजी सचिव

समन्वयक

श्रीमती प्रियंका रावत निरीक्षक

सहायक

कु. रचना, आशुलिपिक

नोट

इस पत्रिका में प्रकाशित की गई रचनाएं और विचार लेखकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। रचना की मौलिकता व अन्य किसी विवाद के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

From Director's Desk

I am delighted to bring out the first quarterly edition of CDTI, Bulletin 'Detective' from January to March, 2021, which highlights our achievements and some of the major activities undertaken at this institute during the period.

CDTI, Ghaziabad is always committed to provide best training to the officers of the State Police, Judicial Officers, Public Prosecuting Officers and CAPFs. During this quarter total 22 courses were conducted in online mode in which 547 officers were trained. In this quarter, the institute celebrated its 10th raising day during which, the institute organized a webinar on 'Internal Security' which was attended by the senior police officers of state police and CAPFs.

Despite the covid-19 pandemic, all the officers and staff including editorial team remained committed and continued to perform their duties in full swing as per the guidelines and necessary precautions issued by the MHA, Government of India and BPR&D Hqrs. from time to time.

I welcome the feedback from the readers to help in improving the quarterly bulletins.

Jai Hind !

Ambar Kishor Jha, IPS
Director
CDTI, Gzb

संपादक की कलम से

यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि संस्थान की तिमाही पत्रिका का प्रथम संस्करण जनवरी से मार्च 2021 का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से पिछले तीन महीनों के दौरान इस संस्थान में हुईं प्रशिक्षण गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों तथा समारोहों की उपलब्धियों को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है।

मुझे गर्व है कि कोविड – 19 के कारण लॉकडाउन के बावजूद भी इस त्रैमासिक पत्रिका को प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल एवं सार्थक सिद्ध होगी। मैं सभी पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि इस पत्रिका को और भी आकर्षक बनाने के लिए अपने बहूमूल्य सुझाव देने का श्रम करे।

बीरेन्द्र कुमार
संपादक
हिंदी प्रभारी अधिकारी

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का संदेश

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है:–

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए गए उपायों एव की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।"

उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। वर्ष 2021–22 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों यथा क, ख और ग का विवरण निम्नानुसार है:–

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादर व नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
ग	क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है किंतु अभी भी काफी काम अंग्रेजी में हो रहा है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सामान्यतः सरकारी कामकाज में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग हो। यही भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन साधारण की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

वर्तमान युग में कोई भी भाषा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े बिना नहीं पनप सकती। यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कम्प्यूटर, ईमेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करना और भी आसान हो गया है।

वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं :–

1. यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।

2. संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में तैयार करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।

3. हिंदी भाषा/ हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षणों में तेजी लाई जाए और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिया जाए।

4. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के कार्यालय नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निदेश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों से कड़ाई से निपटा जाए।

5. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए उनकी पदोन्नति के समय 6 सप्ताह (30 कार्यदिवस) का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

6. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कराई जाती है। वे अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन हिंदी में करवाएं ताकि प्रशिक्षण के बाद अधिकारी/कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें। इस वार्षिक कार्यक्रम में क, ख, ग क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्यतः हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में अनुपालन हेतु संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

7. कार्यशालाओं का आयोजन कर सभी कार्मिकों को राजभाषा नीति की जानकारी दी जाए जिससे वे अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकें।

8. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें।

9. संबंधित अधिकारियों व राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव) द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय–समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाए।

10. देश भर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त नराकास वेबसाइट (**http@narakas.rajbhasha.gov.in**) निर्माण किया गया है। यह वेबसाइट पूर्णतः निःशुल्क है। सभी नराकास इस वेबसाइट पर अपना नराकास संबंधी डाटा (सूचना) साझा कर सकती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाने का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर नराकास के सदस्य हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई उत्तम रीतियों के बारे में जानकारी पर विचार–विमर्श करके तथा उसका आदान–प्रदान करके अपनी उपलब्धियों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। वर्ष में समिति की दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। नगर विशेष में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा इस

समिति की बैठकों में व्यक्तिगत तौर पर सहभागिता करना अपेक्षित है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" तथा क्षेत्रीय स्तर पर "राजभाषा पुरस्कार" देकर सम्मानित किया जाता है। "नराकास की" बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चैक लिस्ट नराकास के गठन के समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

11. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर राजभाषा विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 30 जून तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से अपेक्षित है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही भेजें। यह प्रणाली विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध है।

12. मंत्रालय/विभाग अपने यहां हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन शीघ्रातिशीघ्र करें तथा उनकी बैठकें नियमित आधार पर करना सुनिश्चित करें। इन बैठकों में माननीय सदस्यों के विचारार्थ राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चैक–लिस्ट को ध्यान में रखा जाए। यह चैक लिस्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाए।

13. राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम तथा इनके अंतर्गत जारी निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

14. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जाए। हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जाएं। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए पूर्ण लिंक भी दिया जाए।

15. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिंदी में सरलता और सहजता से काम किया जा सके।

16. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यकलापों की शुरूआत करके कोविड की चुनौती को अवसर में बदल दिया है:–

I. अपनी राजभाषा नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयुक्त स्मृति विज्ञान से प्रेरणा लेकर निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित **"12 प्र"** की रूपरेखा और रणनीति को तैयार किया गया है:

- प्रेरणा
- प्रोत्साहन
- प्रेम
- प्राइज़ अर्थात पुरस्कार
- प्रशिक्षण
- प्रयोग
- प्रचार
- प्रसार
- प्रबंधन
- प्रमोशन (पदोन्नति)
- प्रतिबद्धता
- प्रयास

राजभाषा विभाग के अधिकारीगण विभिन्न राजभाषा बैठकों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीय बैंकों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में उपर्युक्त कार्यढांचे का प्रयोग करते हैं।

II. राजभाषा विभाग के दो प्रशिक्षण संस्थानों – केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों (ई–प्रशिक्षण) के माध्यम से हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि/हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है।

III. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने डिजिटल प्लेटफार्मों (ई–निरीक्षण) के माध्यम से वर्चुअल निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है।

IV. हिंदी कार्यशालाओं और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास की बैठकों का आयोजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों (ई–बैठक) के माध्यम से किया जा रहा है।

V. केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों की गृह पत्रिका के सहज तथा सुलभ पठन में सुविधा प्रदान करने के लिए राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर ई–पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफार्म की शुरूआत की गई है।

VI. माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत – स्थानीय के लिए मुखर के आह्वान से प्रेरित होकर राजभाषा विभाग स्वदेशी स्मृति आधारित अनुप्रयोग (सी–डैक, पुणे के तकनीकी सहयोग से निर्मित) कंठस्थ को और अधिक लोकप्रिय बनाने और विभिन्न सरकारी संगठनों में इसका विस्तार करने के सभी प्रयास कर रहा है। इस अनुप्रयोग में और अधिक एकरूपता तथा उत्कृष्टता लाने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता और पुरस्करों के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं।

VII. शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान और सी–डैक, पुणे के सहयोग से लीला राजभाषा और लीला प्रवाह को उन्नत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

VIII. पोर्ट लुईस (मॉरीशस), डरबन(दक्षिण अफ्रीका), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद और टोबैगो), दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) और लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन की योजना के साथ भारत तथा विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

राजभाषा विभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं उपक्रमों आदि से हम सभी को सौंपे गए राजभाषा प्रयोग संबंधी संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के अनुरूप अपने रोजमर्रा के काम–काज में हिंदी पर अधिकाधिक बल देने और वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अभीष्ट स्वैच्छिक समर्थन की आशा और अपेक्षा करता है।

"हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान है।"

THE ROLE OF POLICEMEN IS TO ENSURE A CIVILIZED AND PEACEFUL SOCIETY

Birendra Kumar
HT,CDTI, Ghaziabad

The role of policemen in a democratic setup is to ensure that the citizens conformed to the accepted civilized norms and codes in a society. Good conduct of the citizens is always essential for any civilized society. Initially, the people themselves perform this regulatory function as time progressed and society advanced, it became difficult for citizens to devote the time for the activity and slowly a paid organization designated as the police came into existence. The terms 'Police' applied to a body of civil officers charged with the responsibility of maintaining public order and peace and ensuring the safety of the life, property and person of citizen. Thus the maintenance of public order and the control of crime became the prime function of the police. They were also called upon to render assistance to the people during natural and man-made emergencies. Organized police services relieved the citizen of the responsibility of safeguarding society. The police thus ensured safe and stable conditions in society.

Formally and officially the role and the function of police are prescribed by the law and the administrative mandate. However, people perceive the police role as an all pervasive one. Police as the most visible arm of state administration, is available to people round the clock throughout the year. The police are entrusted with many tasks and not assigned to them under the law. To perform these tasks efficiently the police invoke the powers vested in them to fight crime and to maintain order. To effectively discharge their duties, the police need the cooperation of the people, this will be forthcoming only when the police function ethically and lawfully and treat the people with courtesy and dignity. The police derive all their powers from the law so they are the law enforcing agency. They should maintain law and order as per the law. There cannot be order without law while preventing and detecting crime, the police are controlled by the substantive panel and procedural laws. At the same time they should respect the rights of the victims, the witness and the accused. The rule of law is paramount in a democracy. Organizations expect personnel to display initiatives and achieve results but the rule of law insists on the rights of the individual citizens and places constraints on the performance of the police. Often the police face the dilemma of the operations consequences of the ideas of order, efficiency and initiatives on the one hand and the legality of the principles of the rule of law on the other. It becomes tempting to

violate the rule of law for short term gains. However, as the police derive all their powers and authority from the law, they cannot exercise their powers in an illegal manner.

The prevention and detection of crime is another area where the police face a dilemma. The public expects the police to prevent all crimes. Unfortunately, most causes which give rise to crime are beyond the control of the police. People demand instant results, have no patience with legal procedures and expect the police to deal with suspects violently. The judicial process is often slow, since it is based on the principle of the presumption of innocence. When an arrested person is either let off by a judicial authority on bail or acquitted for lack of evidence, people blame the police. These pressures make the police often take the law into their own hands and deal with the suspects in a crude and violent manner, using unlawful 'third degree methods'. In a democracy, the charter of the police has been expanded beyond recognition. They are asked to regulate the activities of people under a plethora of social legislation. While democracy stresses on freedom, police action speaks of curtaining them. Often this brings the police and the people into conflict and dichotomy. Community service has not taken precedence over all other police activities. The mantle of the ideal citizen is the most bothersome one for the policeman. His conduct and activities are always under public scrutiny and people expect him to be the ideal man. Like a clergyman, a policeman is expected to be better than his fellow citizens. A law abiding policeman is the visible symbol of all that is good in a society. He is the law in action, the gatekeeper of the criminal justice system. A policeman enjoys enormous discretionary powers in the field, whether to set the law in motion or not. On his moral and ethical fibre depends the quality of life in a democracy. Nowadays, policing in a democracy is incredibly complex task. The policeman should possess and display the best of human values. Policemen are expected to be a call for service round the clock and are expected to have the qualities of sympathy, compassion, civility and humanity. They are also expected to possess the latest knowledge and skills and to achieve success in their field. Policeman has to possess and display highest standards in their profession and conduct. Ultimately a policeman is a social worker in uniform.

To be successful in a democracy a policeman has to rely on public cooperation and adulation. A policeman should always strive to earn the goodwill of the people. This calls for an attitude of respect for the dignity of the citizen and an understanding of the human rights and strict adherence to their principles will help the policeman earn the goodwill, respect and affection of the people. Central Armed Police Forces (CAPFs) in difficult hours are also bound to perform their duties without affecting the dignity of the people while dealing with

the elements undermining the territorial integrity and sovereignty of the country. They should also ensure that they do not violate the human rights of the people. Armed forces should conduct arrests, searches and interrogations as part of their duties ethically and legally. In a democracy the ultimate test for organizational excellence is acceptance by the people. Adherence to human rights principles will ensure the democratic rights of the people enshrined in our Indian constitution. Policeman should always develop and abiding faith in democratic principles, the basic freedoms and human rights of citizens. They should also evolve a code of conduct to serve the democracy, analogous to the United Nations code of conduct for law enforcement officials. Policing in a democracy should be representative, responsive and accountable to the common people all time. Policemen should be always impartial politically neutral and exhibit high level of integrity in their profession.Ultimately this will win the confidence of people and will help to establish a civilized and peaceful society in state.

TRAINING ACTIVITIES OF CDTI, GHAZIABAD

Training courses conducted by CDTI, Ghaziabad from January to March, 2021:-

1. "Investigation of Economic Crime cases (DSI)" from 04.01.2021 to 15.01.2021
2. "Cyber Crime Investigation for Police Officers" from 11.01.2021 to 13.01.2021
3. **"Cyber Crime and Cyber Law awareness for Public Prosecutors and Judicial Officers" from 18.01.2021 to 20.01.2021, in which 33 Public Prosecutors and Judicial Officers participated**

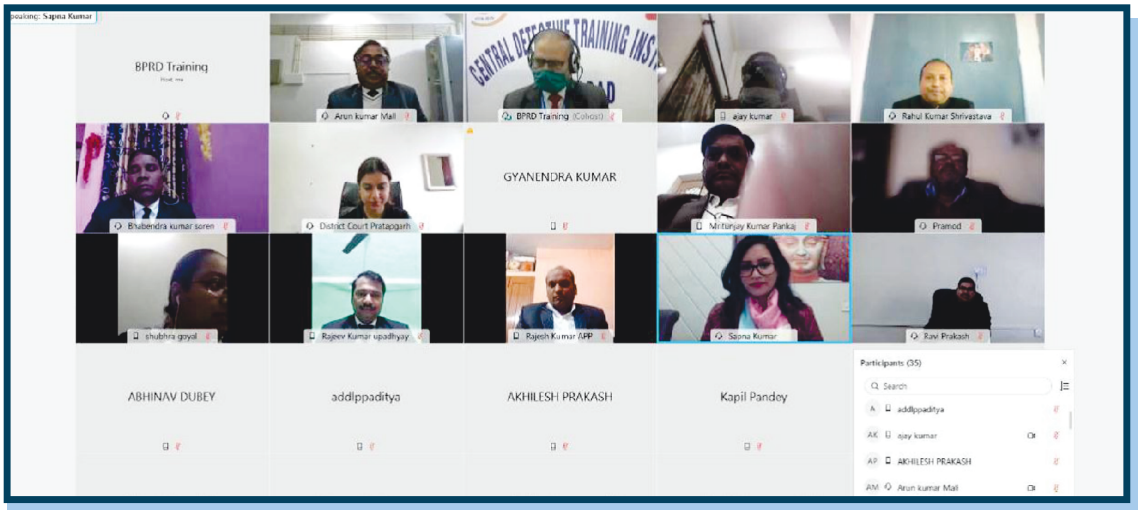

4. Narco Terrorism from 18.01.2021 to 22.01.2021
5. Course on "Counter Terrorism & Counter Insurgency" from 27.01.2021 to 29.01.2021 was organized in which 30 police officers participated.
6. Collection of Human Intelligence from 27.01.2021 to 29.01.2021
7. Investigators Training Programme on Women Safety from 01.02.2021 to 03.02.2021
8. Investigation of Murder/ Homicide cases (DSI) from 01.02.2021 to 05.02.2021
9. "Investigation of Organised Terror Crime" from 08.02.2021 to 10.02.2021

10. Investigators Training Programme on Women Safety from 08.02.2021 to 10.02.2021

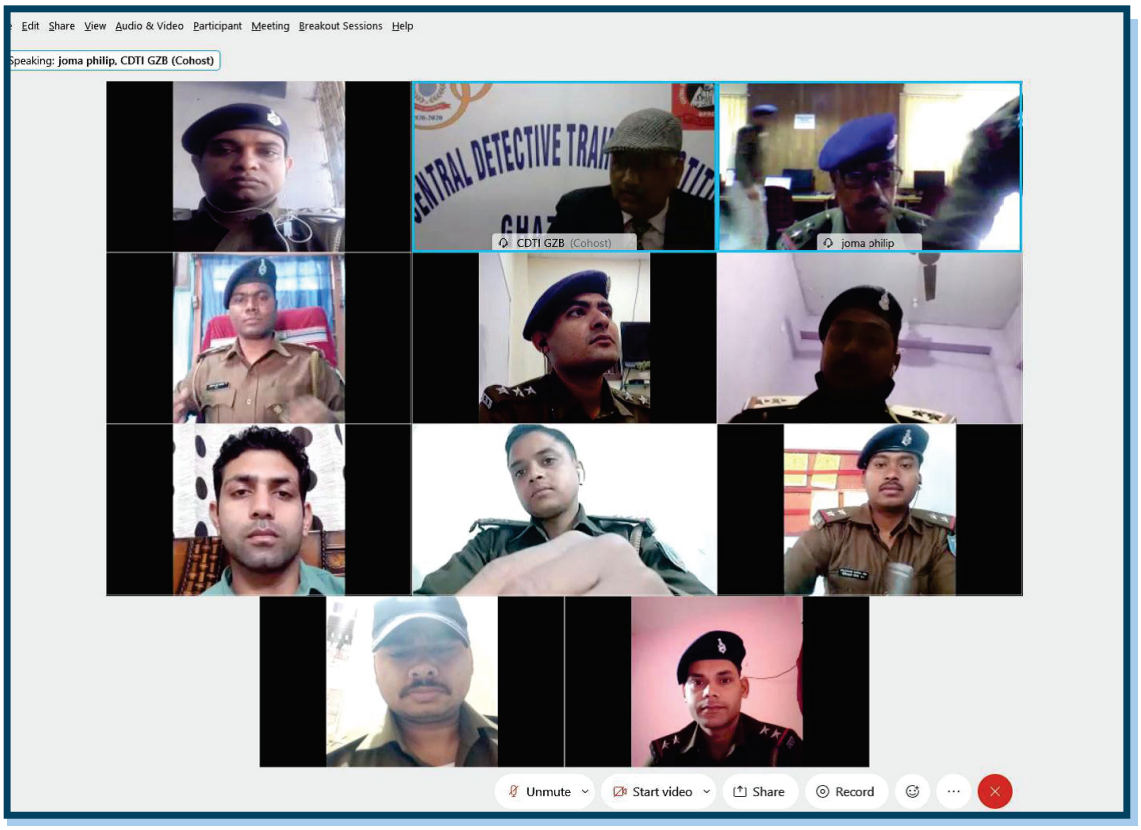

11. Cyber Crime and Cyber Law awareness for Public Prosecutors and Judicial Officers from 08.02.2021 to 10.02.2021

12. "Investigators Training Programme on Women Safety" from 15.02.2021 to 17.02.2021.

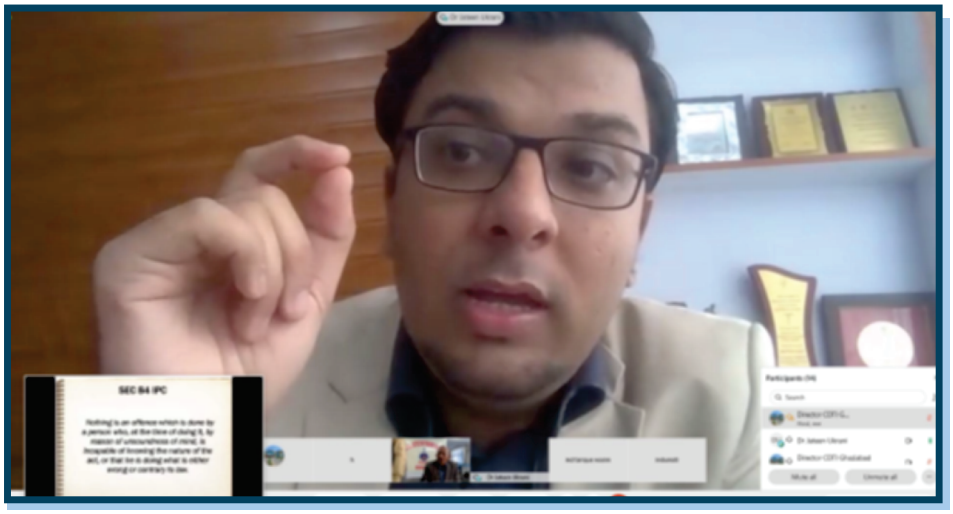

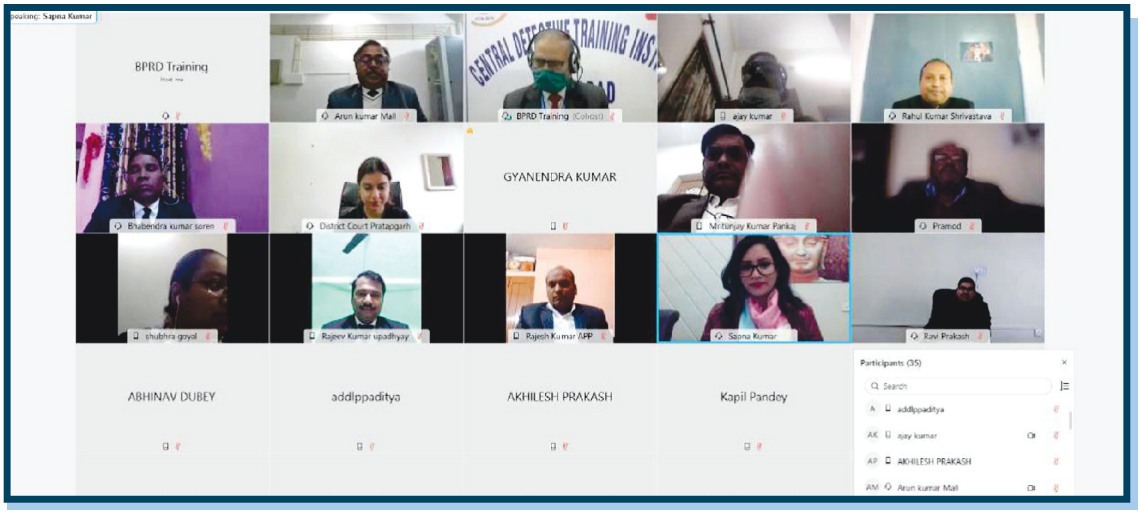

13. Course on "Counter Terrorism (for Sri Lankan Police Officers)" from 22.02.2021 to 24.02.2021, in which 27 police officers of Sri Lanka participated.

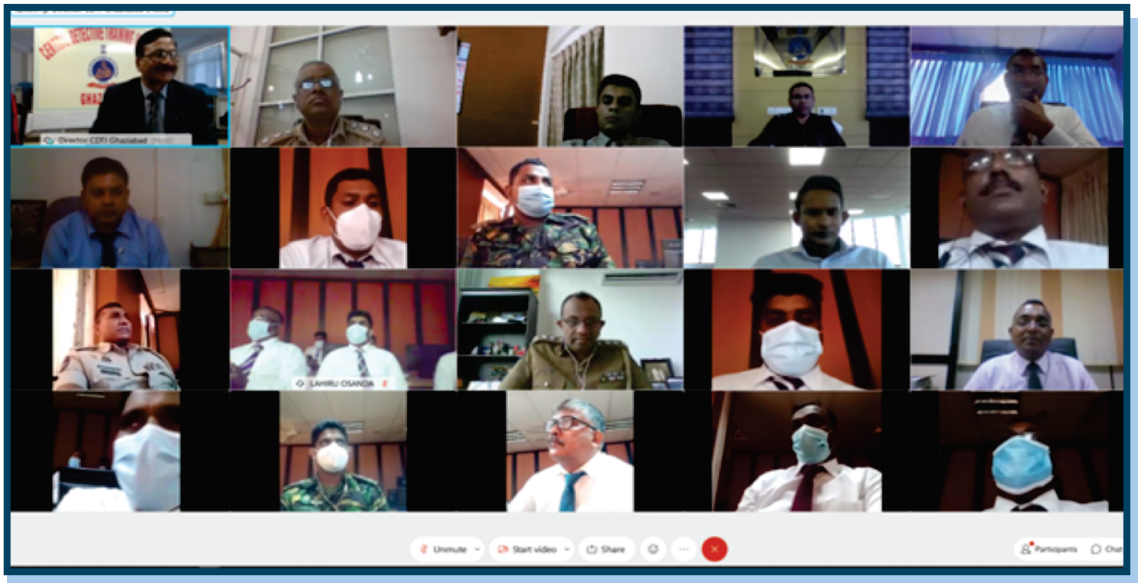

14. "Investigators Training Programme on Women Safety" from 22.02.2021 to 24.02.2021
15. "Investigators Training Programme on Women Safety" from 01.03.2021 to 03.03.2021
16. **"Station House Management (DSI)" from 01.03.2021 to 05.03.2021**

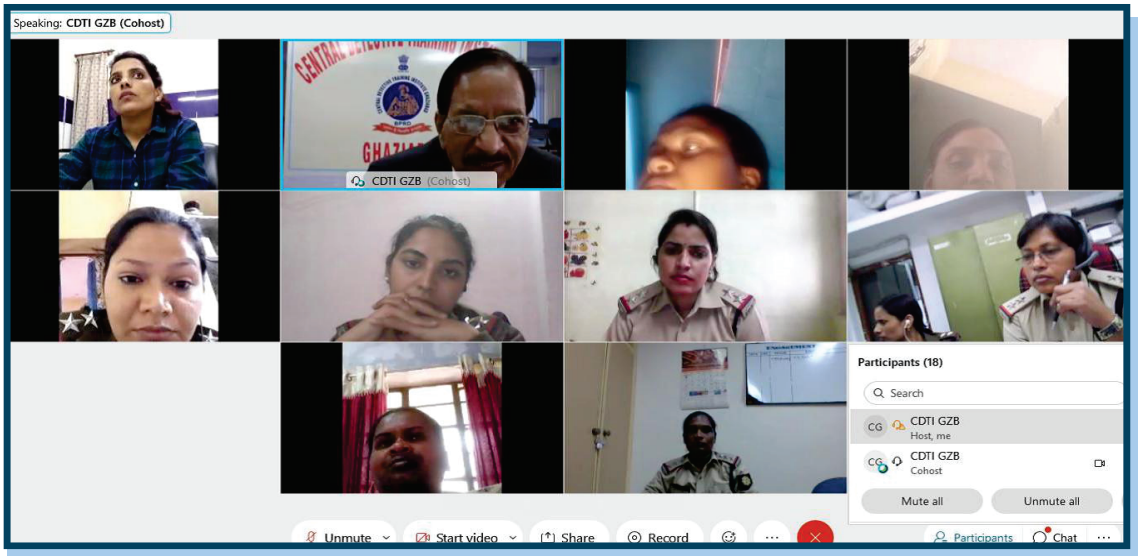

17. "Capacity Building of Women Police Officers(only for women)" from 08.03.2021 to 10.03.2021
18. "Prosecutors Training Programme on Women Safety" from 10.03.2021 to 12.03.2021

19. "Collection and Preservation of Digital Evidence" from 15.03.2021 to 17.03.2021
20. "Investigators Training Programme on Women Safety" from 17.03.2021 to 19.03.2021
21. "Mobile Forensic" from 22.03.2021 to 24.03.2021
22. "Prosecutors Training Programme on Women Safety" from 24.03.2021 to 26.03.2021

Other Activities
Raising Day Celebration

Central Detective Training Institute Ghaziabad under the aegis of Bureau of Police Research and Development celebrated its 10th Raising day on 16.01.2021.

At First Sh. Ambar Kishor Jha, Director of the Institute inaugurated the Raising day Ceremony by lighting a lamp in presence of Officers andStaff. He highlighted the achievement of the Institute and said that since inception the Institute has trained 7771 Police Officer including 84 Trainees from other countries viz. Myanmar, Nepal, Malawi & Sri Lanka and Afghanistan. Due to covid-19 pandemic, this institution is organizing online training courses to all trainees. On this occasion a webinar on Internal Security was also organized by the institution and eminent faculties delivered lectures on the subject. At last the Director of the Institution congratulated all Officers and Staff on this auspicious occasion.

During Raising Day Celebration of CDTI, Ghaziabad a webinar on "Internal Security" was organized by the institution and eminent faculties delivered lectures on the subject.

Republic Day Celebration

CDTI Ghaziabad celebrated the 72ndRepublic Day on 26.01.2021 at its campus. Director, Shri Ambar Kishor Jha, IPS hoisted the National Flag symbolizing unity and integrity of the nation. Addressing the officers & staff on this occasion, he said that we celebrate Republic Day as the constitution of India came into existence on this day. It is the constitution that makes India a free, fair and strong independent nation. We pledge to maintain the unity and integrity of the nation while making our full contribution for the development of our country and reiterated the commitment of the martyrs who sacrificed their lives for making India a republic. He also highlighted the importance of Republic Day and appealed to all the members and Staff of CDTI, to work tirelessly to strengthen national unity and integrity. At last he congratulated all officers, staff and their family members on the eve of Republic Day and distributed sweets to all.

Observance of International Women's Day

Central Detective Institute Ghaziabad observed **International Women's Day on 8th March, 2021.** On this occasion, the Director, Shri Ambar Kishor Jha, IPS emphasized the importance of the day and further highlighted the significance of women's contribution towards the development of nations without gender discrimination.A debate competition was also organised on **"Men & Women have the equal responsibility for development of our nation".** All staff actively participated in the debate competition and expressed their views.

Observance of World Disabled Day

Central Detective Training Institute, Ghaziabad observed World Disabled Day at its campus on 15th March 2021. In order to bring awareness and sensitize the Officers and Staff,a debate competition on "Disabled persons need respect in the society" was organized, in which, Officers and staff actively participated in the subject competition. The best speakers on the said occasion were rewarded by the Director of the Institute.

पांच अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दिनांक 18.03.2021 से 24.03.2021 तक आयोजित पांच अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के निदेशक श्री अंबर किशोर झा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिसमें श्री ब्रिज कुमार दूबे, सहायक निदेशक (राजभाषा), माल एवं सेवा कर कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण संबंधी अनुदेश और वांछित सूचना भरने संबंधी निर्देशों के साथ ही विंडो 10 आदि के माध्यम से हिंदी अनुवाद की जानकारी दी गई। संस्थान के हिंदी प्रभारी अधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार द्वारा प्रशासनिक और लेखा संबंधित मामलों का नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग हेतु अभ्यास, कार्यालय में विभिन्न प्रकार के पत्राचार का अभ्यास, हिंदी प्रोत्साहन योजना की जानकारी तथा राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम संबंधित जानकारी दी गई।

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाज़ियाबाद

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
सेक्टर–19, कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201002
फैक्स / दूरभाष : 0120–2986732